न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 243/14 (वाद)

GCMS No. : 2014/00031

अनवान

1. भेरा पिता हुक्मा जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादी

बनाम्

1. मांगीबाई पत्नी हीरालाल जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. हीरालाल पिता भगा जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. भगा पिता उदा जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. हेमा पिता भगा जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. लाला पिता मेघा जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. चेना पिता मेघा जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. धना पिता मेघा जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. लाली पत्नी भगा जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. मीरा पत्नी लाला जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. गोपी पत्नी हेमा जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता वादी।

2. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता प्र.सं. 1 से 10 ।

3. श्री हार्दिक चेचानी, अधिवक्ता प्र.सं. 5 से 7, 9 ।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : 28.03.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:33 IST
Reason: SelfAttested

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नऊवा, पटवार क्षेत्र चन्देसरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 2426/1701 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में मुझ वादी के नाम स्वतन्त्र खातेदारी से दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी जो मुझ वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त है जिसके पड़ौस पूर्व में ताराचन्द की जमीन, पश्चिम में–माणकचन्द की जमीन, उत्तर में आम रोड़ एवं दक्षिण– अशोक वगैरा की जमीन। उक्त पडोसान मध्य स्थित कृषि भूमि पर मैं वादी अकेला ही काबिज होकर निरन्तर बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग कर रहा हूँ। उक्त वर्णित जमीन में प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नही है। लेकिन प्रतिवादीगण नाजायज रूप से मुझ वादी की जमीन को हड़पने की नियत से मुझ वादी की खातेदारी व कब्जे की जमीन में पड़े पत्थरो एवं जलाऊ लकड़ी को चोरी कर ले जा रहे है और मुझ वादी को नुकसान पहुँचा रहे है एवं मेरे खातेदारी की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर मुझ वादी को बेदखल करने पर आमादा है। जबकि प्रतिवादीगण का उक्त वर्णित कृषि भूमि में कोई हक अधिकार नही है। इसलिये मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूँ।
2. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजी मुझ वादी के खाते व कब्जे की है जिस पर मैं वादी अपने परिवार सहित बिना किसी बाधा के निरन्तर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूँ जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नही है लेकिन प्रतिवादीगण मुझ वादी के कब्जे व खातेदारी की भूमि को हड़पने की नियत से नाजायज रूप से मुझ वादी की उक्त जमीन पर पड़ी हुई जलाऊ लकड़ी एवं पत्थरो को जमीन में अनाधिकार रूप से प्रवेश कर चोरी कर ले जाने पर उतारू हो रहे है और मुझे जमीन से बेदखल कर कब्जा करने पर उतारू है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने कोई हक अधिकार नही है। इसलिये मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूँ कि प्रतिवादीगण उक्त वर्णित मुझ वादी के कब्जे व खातेदारी की कृषि भूमियों का मुझ वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, मुझ वादी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं प[illegible]त्थर एवं जलाऊ लड़की चोरी कर नही ले जावे, वादी के कब्जे उपभोग मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:33 IST
Reason: SelfAttested

वादी को बेदखल नही करे, प्रवेश नही करें, कब्जा नही करे, किसी प्रकार का नुकसान नही पहुँचावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नही है। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से मुझ वादी को भारी क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादी के पक्ष में है।

3. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 06.10. 2014 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने मुझ वादी के कब्जे व खातेदारी की कृषि भूमि पर पड़े पत्थरो एवं जलाऊ लकड़ी को चोरी कर ले जाने की कोशिश की और समझाने पर भी नही माने तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

4. अंत में निवेदन किया कि मुझ वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की डिक्री जारी करते हुए मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादीगण उक्त वर्णित मुझ वादी के कब्जे व खातेदारी की कृषि भूमि का मुझ वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, मुझ वादी को किसी प्रकार का नुकसान नही पहुंचावें, वादी के कब्जे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, वादी को बेदखल नही करे, कब्जा नही करे, प्रवेश नही करे, वादी की भूमि में पड़े पत्थर एवं जलाऊ लकड़ी को चोरी कर नही ले जावे उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित राजस्व ग्राम नउवा पटवार क्षेत्र चन्देसरा तहसील मावली जिला उदयपुर राज० में कृषि भूमि आराजी संख्या 2426/1701 रकबा 8.15 (आठ बीघा पन्द्रह बीस्वा) होना स्वीकार। उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में एक मात्र वादी के दर्ज होना अस्वीकार है उक्त आराजी पूर्व में बिलानाम थीं। उक्त जमीन पर सभी ने मिलकर पत्थर की कोट सम्वत 2029 में बनवाई थीं एवं सभी ने मिलकर उक्त बिलानाम जमीन अपने [illegible] के लिए आवेदन किया था। समस्त कार्यवाही के बाद [illegible] आवंटित हुई थी एवं मै, वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Giri Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:33 IST
Reason: SelfAttested

एवं भगा मेघा एवं जेता एवं उनके वारिस निर्विवाद रूप से काबिज होकर सामूहिक रूप से उक्त जमीन पर काबिज है एवं उक्त जमीन का सामूहिक उपयोग कर रहे हैं। इस दावे से प्रतिवादीगण को प्रथम बार जानकारी हुई कि जमाबन्दी में उनका नाम नहीं है एवं केवल मात्र वादी का नाम अंकित है । उक्त पंडोसो के मध्य स्थित कृषि भूमि पर वादी अकेला काबिज नहीं है बल्कि प्रतिवादीगण भी सयुक्त रूप से काबिज है एवं वादी तथा प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग कर रहे है उक्त भूमि के आंवटन से पूर्व से ही वादी तथा भगा, मेघा, जेता, तथा उनके वारिस उक्त जमीन पर पड़े पत्थरों जलाउ लकडी का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वर्तमान में जमीनो की कीमत बढ़ जाने से एवं राजस्व रेकर्ड में एक मात्र वादी का नाम गलती से चढ जाने के कारण वादी के मन में बदनियती आ गई है एवं उक्त वर्णित संपूर्ण आराजी हडपने की दृष्टि से वादी अचानक प्रतिवादीगण के इतने साल के संयुक्त खाते एवं कब्जे की जमीन को अकेला हडपने की दृष्टि से ऐसी कार्यवाही कर रहा हैं। जब आवंटन से पूर्व बिलानाम जमीन के समय से ही उक्त जमीन पर वादी एवं भगा, मेघा, जेता, एवं उनके वारिसो का शान्ति पूर्वक कब्जा है एवं उपयोग उपभोग कर रहे है तो प्रतिवादीगण का कब्जा करने, वादी को बेदखल करने का कोई प्रश्न ही नही पेदा होता है। यदि प्रतिवादीगण अपनी ही जमीन से पत्थर जलाउ लकडी ले जाते है तो यह चोरी की परिभाषा में नहीं आता है एवं यदि वास्तव में प्रतिवादीगण ने कोई चोरी की होती तो वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एफ०आई०आर दर्ज करवानी चाहिये थी जिससे स्पष्ट है कि वादी ने मिथ्या अंकन किया है उक्त वर्णित किसी प्रकार की निषेधाज्ञा वादी जारी कराने का अधिकारी नहीं है । बिना वाद हेतुक में यह वाद प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण वादी का वाद खारीज होने योग्य है जब प्रतिवादीगण उक्त जमीन पर जब यह बिलानाम थी तब से ही काबिज है एवं आंवटन भी उन्होने ही वादी के साथ सयुक्त रूप से कराई तो प्रतिवादी के कब्जे की भूमि का उपयोग उपभोंग करने के कारण वादी को कोई वाद कारण पेदा नही होता है ।

6. **विशेष उत्तर** – राजस्व ग्राम नउवा पटवार क्षेत्र चन्देसरा तहसील मावली जिला उदयपुर राज० की आरा[illegible] 24[illegible]170 [illegible]कबा 8.15 (आठ बीघा पन्द्रह बीस्वा) सम्वत 2029 से [illegible] वादी भेरा, भगा, मेघा, एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Si[illegible]
Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:33 IST
Reason: SelfAttested

जेता का सयुक्त कब्जा था। भेरा, भगा, मेघा, एवं जेता ने उक्त बिलानाम जमीन सम्वत 2029 में पत्थर की कोट बनवाई थी एवं तत्पश्चात उक्त जमीन को खातेदारी दर्ज कराने के लिये आवेदन किया जिस पर सन् 1989 में उक्त जमीन चारो जनो के आवंटित की एवं राजस्व अभिलेखो में गेर खातेदारी में दर्ज की गई तत्पश्चात सन् 2001 में उक्त जमीन सभी के खातेदारी में दर्ज हुई एवं शुरू से ही वादी एवं भगा, मेंघा, एवं जेता तथा उनके वारिस प्रतिवादीगण उक्त जमीन पर सयुक्त रूप से काबिज है। इस वाद में प्रतिवादीगण को प्रथम बार ज्ञात हुआ कि उक्त जमीन की जमाबन्दी में केवल मात्र वादी का नाम है प्रतिवादीगण का नाम नही है। ऐता प्रतित होता है कि वादी ने बेईमानी पूर्वक राजस्व कर्मियो से मिलीभगत कर राजस्व अभिलेखो में भगा, मेघा, जेता, एव उनके वारिसो का नाम नही आने दिया एवं केवल मात्र वादी का नाम ही अभिलेखो में लिखा। सभी ने सयुक्त रूप से उक्त जमीन आंवटन के लिये आवेदन दिया था। प्रतिवादीगण इसके लिये वादी के विरूद्ध अलग से कार्यवाही करेगा। उक्त कारण से वादी का वाद खारिज होने योग्य है। अंत में निवेदन किया कि वादी का वाद सव्यय खारिज करने का आदेश फरमाये।

7. **प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब का वादी द्वारा जवाब उल जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया की** प्रतिवादीगण का यह कहना कि उक्त आराजी पर वादी व भगा, मेघा एवं जेता तथा उनके वारिसान द्वारा संवत 2029 में पत्थर की कोट बनवाई गई. गलत है तथा यह कहना भी गलत है कि उक्त आराजी के आवन्टन हेतु वादी एवं भगा, मेघा एवं जेता द्वारा आवेदन किया गया हो व चारों को आवन्टित हुई हो, बल्कि उक्त आराजी को आवन्टन कराने हेतु वादी ने ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है व बाद जांच वादी के नाम ही आवन्टन की गई है। इस आवन्टन से भगा, मेघा, जेता व उनके वारिसान का कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त विवादित आराजी पर भगा, मेघा, जेता व उनके वारिसान का निर्विवाद रूप से, सामूहिक रूप से काबिज हो सामूहिक रूप से उपयोग–उपभोग कर रहे हों, बल्कि उक्त आवन्टित भूमि पर वादी अकेला ही काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहा है तथा वादी ही इसका खातेदार एवं आधिपत्यधारी है। प्रतिवादीगण वादी की उक्त जमीन को हड़पने की नीयत से उक्त आराजी में वादी के पत्थरों एवं ज[illegible] लकड़ी [illegible]र ले जाने लगे व वादी को नुकसान पहुंचा रहे हैं [illegible] आमादा होने से वादी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद प्रस्तुत किया है जिससे बचने के लिए प्रतिवादीगण ने झूठे आधार लिये हैं, जो चलने योग्य नहीं है। आवन्टन आदेश की पालना में वादी के नाम दर्ज हुई है व वादी ही इस पर काबिज चला आ रहा है। वादी शारीरिक रूप से कमजोर होने से उसे दबाव डालकर अपने ताकत के बल पर जबरन कब्जा चाहते है। अतः निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को रोका जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण का यह कहना कि प्रतिवादीगण अपनी जमीन से पत्थर व जलाऊ लकड़ी ले जाते हैं, गलत है बल्कि वादी की खातेदारी व आधिपत्य की उक्त आराजी से जलाऊ लकड़ी व पत्थर चुरा कर ले गये हैं जिनका उन्हें कोई अधिकार नहीं है, न प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर या उसके किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं है। अंत में निवेदन किया कि जवाबुल जवाब रेकर्ड पर लिवाया जाकर वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध डिक्री फरमाया जावे।

8. प्रतिवादी संख्या 2 से 10 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

   1. आया वादी वादग्रस्त आराजी संख्या 2426/1701 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार काश्तकार होने से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। ..... जिम्मे वादी
   2. आया वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त भूमि पूर्व में बिलानाम भूमि होकर वादी व प्रतिवादीगणों के सामलाती कब्जे में थी जो अभी तक चली आ रही है। वादी ने गलत रूप से केवल अपने अकेले के नाम भूमि दर्ज करा ली है। भूमि पर सामलाती कब्जा होने से वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। ..... जिम्मे प्रतिवादीगण

9. साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी के तहत गवाह पी.डब्ल्यू 1 भेरा पिता हुक्मा डांगी एवं गवाह पी.डब्ल्यू 2 कालु पिता टिला डांगी के मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। प्रकरण में साक्ष्यवादी एवं साक्ष्यप्रतिवादी बंद की गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी के खातेदारी हक की भूमि है प्रतिवादी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से सर्वि किया जावे। अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त भूमि बिलानाम थी तब से ही वादी एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा था, परन्तु वादी द्वारा अकेले के नाम पर करवा ली गई। परन्तु उक्त भूमि पर हमारा संयुक्त रूप से कब्जा है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में निर्णय तनकीवार निम्नानुसार है।

1. आया वादी वादग्रस्त आराजी संख्या 2426/1701 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार काश्तकार होने से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

   उक्त तनकी को साबित करवाने का भार वादी पर था। वादी द्वारा वाद पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी के नाम पर दर्ज है। परन्तु मौके पर वास्तव में उक्त संम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त हो, इस संबंध में वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में आशिंक स्वीकार की जाती है।

2. आया वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त भूमि पूर्व में बिलानाम भूमि होकर वादी व प्रतिवादीगणों के सामलाती कब्जे में थी जो अभी तक चली आ रही है। वादी ने गलत रूप से केवल अपने अकेले के नाम भूमि दर्ज करा ली है। भूमि पर सामलाती कब्जा होने से वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

   उक्त तनकी साबित करवाने का भार प्रतिवादीगण पर था। परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी को साबित करवाने के लिए साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नही किए। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध साबित की जाती है।

3. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा नउवा पटवार क्षेत्र नउवा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता सं. 206 पर दर्ज आराजी नम्बर 2426/1701 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादी के [illegible] से दर्ज रिकॉर्ड है। जिसके संबंध में वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sevi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:33 IST
Reason: SelfAttested

चाही गई है। जमाबंदी के अवलोकन से प्रतीत होता हैं कि उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। न्यायालय का विनम्रतापूर्वक अभिमत है कि मौजा नउवा पटवार क्षेत्र नउवा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता सं. 206 के अनुसार आराजी नम्बर 2426/1701 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि का वादी रेकार्डेड खातेदार हैं। रेकार्डेड खातेदार के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। क्योंकि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। दस्तावेज अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। वादी को खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण जबरन बेदखल कर देते है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू वादीया के पक्ष में साबित होते हैं क्योंकि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं साथ ही न्यायालय का यह भी अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का ही कब्जा हो, इस सम्बन्ध में वादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है यदि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा हो तो वादी कब्जा प्राप्त करने के लिए इस वाद के तहत् अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। इसके लिए वादी सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज करा अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र हैं। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा नउवा पटवार क्षेत्र नउवा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता सं. 206 के अनुसार आराजी नम्बर 2426/1701 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण, वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, वादी को जबरन बेदखल नहीं करें, साथ ही यदि कब्जा प्रतिवादीगण का है तो वादी, प्रतिवादीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जे सम्बन्धित अधिकार हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:33 IST
Reason: SelfAttested

सकते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:33 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. भेरा पिता हुक्मा जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादी

बनाम्

1. मांगीबाई पत्नी हीरालाल जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. हीरालाल पिता भगा जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. भगा पिता उदा जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. हेमा पिता भगा जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. लाला पिता मेघा जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. चेना पिता मेघा जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. धना पिता मेघा जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. लाली पत्नी भगा जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. मीरा पत्नी लाला जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. गोपी पत्नी हेमा जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी नऊवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 243/14 (वाद)

GCMS No. : 2014/00031

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:33 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा नउवा पटवार क्षेत्र नउवा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता सं. 206 के अनुसार आराजी नम्बर 2426/1701 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण, वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, वादी को जबरन बेदखल नहीं करें, साथ ही यदि कब्जा प्रतिवादीगण का है तो वादी, प्रतिवादीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जे सम्बन्धित अधिकार हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.03.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:03:33 IST
Reason: SelfAttested